न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 95/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/322**
दायर दिनांक :– 20.03.2024 **निर्णय दिनांक :– 01.12.2025**

1. सायर पत्नी उम्मेदाराम जाति गुरूडा निवासी तनोट बस्ती तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. मुली पत्नी हरचंद जाति गुरूडा निवासी तनोट बस्ती तहसील बाप जिला फलोदी
2. भोमाराम पुत्र तेजाराम जाति गुरूडा निवासी तनोट बस्ती तहसील बाप जिला फलोदी
3. पदमाराम पुत्र कोजाराम उर्फ कोजा जाति गुरूडा निवासी तनोट बस्ती तह. बाप जिला फलोदी
4. अमेदाराम पुत्र भूराराम जाति गुरूडा निवासी तनोट बस्ती तहसील बाप जिला फलोदी
5. रामचन्द्र पुत्र भूराराम जाति गुरूडा निवासी तनोट बस्ती तहसील बाप जिला फलोदी
6. हरचन्दराम पुत्र भूराराम जाति गुरूडा निवासी तनोट बस्ती तहसील बाप जिला फलोदी
7. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा शेखासर जरिये शाखा प्रबन्धक
8. एक्सिस बैंक शाखा फलोदी जरिये शाखा प्रबन्धक
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–
1. श्री नारायणसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री पपूराम मेगवाल अधिवक्ता अ.सं. 1 व 6
4. श्री किशनाराम विश्नोई अधिवक्ता अ.सं. 4

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की भूमि की खसरा नम्बर 118/1 रकबा 2.6224 हैक्टेयर तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 2.6224 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 118/2 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 118/3 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 118/4 रकबा 9.7124 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा तनोट बस्ती पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्राथी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 उक्त वादग्रस्त भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपना–अपना कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है तथा इसी अनुसार ही इस भूमि में प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख जमाबंदी में प्रार्थी एवं

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के नाम अलग–अलग रूप से दर्ज थी लेकिन नक्शा में सामलाती होने के कारण वर्तमान में पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से प्रार्थी को सूचित किये बगैर ही सेग्रीकेशन योजना के तहत प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की खातेदारी भूमि की नक्शा में तरमीम अपनी मनमर्जी से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के कब्जा काश्त के विपरित जाकर कर दी। जबकि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 मौके पर कब्जा व काश्त प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थी ग्राम तनोट बस्ती पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 118/1 रकबा 2.6224 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118 रकबा 2.6224 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118/2 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118/3 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118/4 रकबा 9.7124 हैक्टेयर भूमि के ऑनलाईन नक्शा में की गई विधि विरूद्ध तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 6 की और से अधिवक्ता पपूराम मेगवाल एवं अप्रार्थी संख्या 4 की और से अधिवक्ता किशनाराम विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। इनको जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर इनका जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 9 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब में बताया कि ग्राम तनोट बस्ती के खसरा नम्बर 118/1 रकबा 2.6224 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118 रकबा 2.6224 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118/2 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118/3 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118/4 रकबा 9.7124 हैक्टेयर भूमि के खातेदारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम तनोट बस्ती पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 118/1 रकबा 2.6224 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118 रकबा 2.6224 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118/2 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118/3 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118/4 रकबा 9.7124 हैक्टेयर भूमि की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में हो रखी है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है वर्तमान ऑनलाईन तरमीम सेग्रीकेशन योजना के तहत की गई है परन्तु उपरोक्त खसरान् की तरमीम लट्ठा नक्शा में अंकित नहीं है। विवादग्रस्त खसरान की तरमीम वर्तमान में किस प्रकार अंकित है जिसका नजरी नक्शा

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

मौका रिपोर्ट में नहीं बनाया गया है जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वर्तमान तरमीम एवं खातेदारों के कब्जा में भिन्नता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण I. R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)